

**\*@shahjahanpurpol\***

**प्रेस नोट- जनपद शाहजहांपुर दिनांक 29.07.2022**

**\*थाना निगोही व एस.ओ.जी. की पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी\***

**\*शराब की तस्करी करने वाले अंतर्रज्यीय गिरोह का भंडाफोड, 05 शराब तस्कर गिरफ्तार,\***

**\*करीब 09 लाख रुपये की अंग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का, 02 कार एल्टो व स्विफ्ट, 04 मोबाइल आदि बरामद**

**I\***

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित एवं वारंटी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं श्री अरविन्द कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना निगोही पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 28.07.2022 की रात्रि को श्री रवीन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना निगोही व रोहित कुमार, प्रभारी एस.ओ.जी. के नेतृत्व में थाना निगोही व SOG की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय करीब 23.00 बजे कैमुआ पुल के पास बीसलपुर रोड से 05 अभियुक्तों 1. अजय पाल 2. नैन सिंह 3. ओमेन्द्र पाल 4. रोहिताश कुमार 5. जतिन कुमार को 89 पेट्टी एवं 10 बोतल अंग्रेजी शराब मार्का 999 POWER STAR FINE WHISKY CHANDI GARH के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना निगोही मु0अ0सं0 353/22 धारा 420 आ0ई0पी0सी0 व 60/62 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-\***

**कैमुआ पुल के पास बीसलपुर रोड से, 28.07.2022 व समय 23.00 बजे**

**\*गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता\***

1. अजय पाल पुत्र परसादी लाल निवासी ग्राम बास बोझ थाना बहेड़ी जिला बरेली
2. नैन सिंह पुत्र आसेराम निवासी ग्राम बास बोझ थाना बहेड़ी जिला बरेली
3. ओमेन्द्र पाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम अबुपुरा जोखनपुर थाना बहेड़ी जिला बरेली
4. रोहिताश कुमार पुत्र स्व0 ख्यालीराम निवासी मो0 पटेलनगर जादुनगर थाना बहेड़ी जनपद बरेली
5. जतिन कुमार पुत्र स्व0 ख्याली राम नि0 मो0 पटेलनगर जादुनगर थाना बहेड़ी जनपद बरेली

**\*बरामदगी का विवरण-\***

1. 89 पेट्टी एवं 10 बोतल (कुल 1078 बोतल अंग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का 999 POWER STAR FINE WHISKY CHANDIGARH)
2. 02 कार एल्टो व स्विफ्ट, 04 मोबाइल व 1050/- रुपये

**\*पूछताछ का विवरण-\***

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब यह शराब हम लोग उत्तराखण्ड के बाजपुर से लाये हैं तथा लाभ कमाने के उद्देश्य से ठेके के आस-पास बेच देते हैं आज भी सर हम इन दोनों गाड़ियों में शराब लादकर शाहजहाँपुर बेचने के लिये ले जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया। बरामद दोनों गाड़ियों अल्टो कार व स्विफ्ट के

कागजात तलब किये गये तो नही दिखा सके । दोनो गाडियो को मौके पर ई-चालान एप द्वारा 207 एम0वी0 एक्ट मे सीज कि गया ।

**\*अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग\***

**1. मु0अ0स0 353/2022 धारा 420 भादवि व 60/62 EX ACT**

**\*अभियुक्त रोहिताश व जतिन का आपराधिक इतिहास-\***

(i)मु0अ0सं0 63/19 धारा 307/323/392/504 भादवि थाना बहेड़ी जनपद बरेली

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\***

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1.प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र सिंह           | 2. श्री रोहित कुमार, एस0ओ0जी0 प्रभारी |
| 3.उ0नि0 श्री सुनील कुमार मौर्य थाना निगोही | 4.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार निगोही      |
| 5.हे0का0 329 राजारामपाल एसओजी              | 6.हे0का0 157 उदयवीर सिंह एसओजी        |
| 7.हे0का0 369 सुशील शर्मा                   | 8.हे0का0 126 झम्मन सिंह               |
| 9.का0 1326 कर्मवीर सिंह                    | 10.का0 264 ज्ञानेन्द्र सिंह एसओजी     |
| 11.का0 1405 तौशीम हैदर एसओजी               | 12. का0 1805 प्रभात चौधरी एसओजी       |
| 13.का0 1435 दिलीप कुमार एसओजी              | 13.का0 1815 सूरजपाल                   |
| 14.का0 2509 दीपू शर्मा                     |                                       |